रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225961 CG-DL-E-17032021-225961

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1149] No. 1149] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2021/फाल्गुन 26, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2021/PHALGUNA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सं. 30/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1240(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना मेः-

- (i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, 12वें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा यथाः-
- 'बशर्ते और भी की न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को बैगेज के क्लियरेन्स के उद्देश्य से लैंड कस्टमस स्टेशन नियुक्त किया गया हो';
- (ii) सारणी में बंग्लादेश से संबंधित क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (62) और उससे संबंधित कॉलम (4) के प्रविष्ट के पश्चात, कॉलम (3) और (4) में क्रमश- निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा यथाः

1664 GI/2021 (1)

(1)	(2)	(3)	(4)
			भारत के जलपाईगुड़ी और बंग्लादेश के ढाका को जोड़ने वाली हल्दीवाड़ी-चिल्हटी रेल के माध्यम से रेल मार्ग"।

[फा. सं. 550/03/2021-एलसी]

बुलो मामु, अवर सचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर. 1994 को का. आ. (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क (गै.टे) दिनांक 5 मार्च, 2021, जिसे का. आ. 2052(अ) दिनांक 5 मार्च 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2021

No. 30/2021- Customs (N.T.)

S.O. 1240(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely: -

In the said notification, -

- (i) in the opening paragraph, after the twelfth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -
- "Provided also that New Jalpaiguri Railway Station is appointed as Land Customs Station for the purpose of clearance of baggage.";
- (ii) in the TABLE, against serial number 2 relating to Bangladesh, in column (3) after item (62) and the corresponding entry relating thereto in column (4), the following entries in columns (3) and (4) shall respectively be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			The rail route through Haldibari- Chilhati rail link connecting Jalpaiguri in India to Dhaka in Bangladesh".

[F.No.550/03/2021-LC]

BULLO MAMU, Under Secy.

Note: The principal notification No. 63/1994- Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended vide notification No. 27/2021-Customs (N.T.), dated the 5th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1052 (E), dated the 5th March, 2021.